

प्रेस- विज्ञप्तिथाना- रौनापार02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेपमें)- दि0 01.08.2022 को वादी मुकदमा श्री रामविजय सिंह पुत्र स्व0 तेजवर सिंह ग्राम बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षियों द्वारा वादी के घर के बाहर एक राय होकर लाठी डण्डा राड व धारदार हथियार से जान मारने की नियत से वादी के चचेरे भाई अवनीश सिंह पर प्रहार किया जिससे अवनीश सिंह का सिर फट जाना व लहुलुहान होकर बेहोश हो गया, शोर सुनने पर प्रार्थी व अन्य लोगो के पहुँचने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/22 धारा 323/504/506/307/308/34 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री उमाशंकर के द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 02.08.2022 को उ0नि0 श्री उमाशंकर मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) मो0 फैजान पुत्र स्व0 सगीर अहमद उम्र करीब 22 वर्ष व (2) साहिल उर्फ मो0 जिसान पुत्र स्व0 सगीर अहमद उम्र करीब 19 वर्ष साकिनान बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को बाजार गोसाईं के पास से समय करीब 06.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृतअभियोग- मु0अ0सं0 269/22 धारा 307/308/323/504/506/34 भादवि, थाना रौनापार, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारअभियुक्त

- 1.मो0 फैजान पुत्र स्व0 सगीर अहमद उम्र करीब 22 वर्ष
2. साहिल उर्फ मो0 जिसान पुत्र स्व0 सगीर अहमद उम्र करीब 19 वर्ष साकिनान बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री उमाशंकर, का0 चन्द्रमणि त्रिपाठी, का0 उपेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना सिधारीधारा 308 भादवि में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-दिनांक 25.06.2022 को श्री अवधेश राम पुत्र रामनयन ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़ थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षियों द्वारा लाठी डण्डा लेकर गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना जिससे आवेदक के पिता रामनयन, मां मेवाती, भाई राजेश व राकेश व बहन मंजू का गम्भीर रूप से घायल हो गये, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2022 धारा 323/504/506/308 बनाम 1- मुसाफिर पुत्र बिरजू 2.संजू पुत्र मुसाफिर 3.राजकुमार पुत्र मुसाफिर 4.शारदा देवी पत्नी मुसाफिर साकिनान ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राजेन्द्र कुमार द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 02.08.2022 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त

1. मुसाफिर राम पुत्र स्व0 बिरजू राम, 2. संजीव उर्फ संजू पुत्र मुसाफिर राम, 3. राजकुमार पुत्र मुसाफिर राम निवासीगण शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को शाहगढ़ बाजार से समय 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया और वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 258/2022 धारा 323/504/506/308/325 थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मुसाफिर राम पुत्र स्व0 बिरजू राम उम्र 56 वर्ष निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. संजीव उर्फ संजू पुत्र मुसाफिर राम उम्र 23 वर्ष निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. राजकुमार पुत्र मुसाफिर राम उम्र 25 वर्ष निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
- 2.कां0 सुरेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
- 3.कां0 बिजेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

थाना मेंहनगर, आजमगढ़

82 सीआरपीसी की नोटिस फरार अभियुक्तों के घर चस्पा

आज दिनांक- 02.08.22 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार, काफी दिनों से फरार चल रहे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 29/2021 धारा 302/34/504/120 बी IPC व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अलीशेर, 2.मसरर अहमद पुत्रगण मकबूल अहमद सा0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के घर दबिश दी गयी। नहीं मिले तत्पश्चात 82 Cr.PC के तहत जारी नोटिस का तामिला नियमानुसार घर पर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गयी। तथा डुगडुगी भी पिटवायी गई। इस अवसर पर गाँव के बहुत से लोग मौजूद रहे उक्त आरोपियों के द्वारा साजिश कर ग्राम खुन्दनपुर के निवासी कलामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन की हत्या दिनांक 15.02.2021 को करवा दी गयी थी। मृतक कलामुद्दीन के पुत्र फुरकान अहमद सा0 खुन्दनपुर के तहरीरी सूचना पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

थाना- कप्तानगंज

गैंगस्टर एक्ट में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 02.08.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 240/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट बनाम 1. राजनाथ चौहान उर्फ रन्ना चौहान पुत्र निर्मल चौहान निवासी देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2.आकाश यादव पुत्र जियालाल यादव 3. अभिषेक पाठक उर्फ चंचल पाठक पुत्र राजेन्द्र पाठक निवासीगण देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 4. पवन चौहान उर्फ विशाल पुत्र मटरू चौहान निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

2.गिरफ्तारी का विवरण—उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आकाश यादव व अभिषेक पाठक उर्फ चंचल पाठक को छाता का पुरा ओवर बिज्र के नीचे अहरौला रोड़ पर पास से समय करीब 13.25 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्तों को थाना स्थानीय पर लाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 240/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 81/21 धारा-376डी/504/506 भादवि व 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध SC/ST ACT व 5G/6 पास्को एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.आकाश यादव पुत्र जियालाल यादव उम्र 20 वर्ष ग्राम देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. अभिषेक पाठक उर्फ चंचल पाठक पुत्र राजेन्द्र पाठक उम्र 26 वर्ष ग्राम देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती हे0का0 गंगासागर यादव का0 राकेश कुमार कां0 राकेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़